भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3170

जिसका उत्तर 21.12.2023को दिया जाना है

लो फ्लोर बसों के लिए दिशानिर्देश

3170. श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल लो फ्लोर बसों के लिए निविदा जारी करने के लिए राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पहुंच सुगम्य बस अड्डों की संख्या पर कोई जानकारी/डेटा रखती है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्टैंडों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त स्टैंडों पर उपलब्ध प्रतीक्षालय/सुविधाओं की प्रकृति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) जी नहीं। हालाँकि,सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगस्त, 2022 में "बस टर्मिनलों और बस स्टॉप के लिए पहुंच दिशानिर्देश" तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश बस पत्तनों/बस टर्मिनलों और बस स्टॉप में क्षेत्रों की योजना और डिजाइन पहलुओं को सम्मिलित करते हैं ताकि ऐसे क्षेत्रों को सभी के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके। उक्त दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि आसान पहुंच वाली बसों का फर्श नीचा होना चाहिए।

(ग) और (घ) सड़क मार्ग से परिवहन राज्य का विषय है और राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

*****